

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/16/ 1004

दिनांक: 30/8/16

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 (1) (क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर परिषद दौसा एवं नगर पालिका लालसोट में उनके नाम के सम्मूह अंकित व्यक्तियों को एतद्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	व्यक्ति का नाम
1.	नगर परिषद दौसा	1. श्री सुनिल बढेरा पुत्र श्री गोवर्धन बढेरा
		2. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री सेखूराम शर्मा
		3. श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा
		4. श्री विनोद सामरिया पुत्र श्री रामस्वरूप सामरिया
		5. श्री बनवारी चन्देल पुत्र श्री बट्टी नारायण
2.	नगर पालिका लालसोट	1. श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा
		2. श्री राजेश गुप्ता (वैद्य) पुत्र श्री बांधवत वैद्य
		3. श्री राममनोहर बैरवा पुत्र श्री विरदीचंद बैरवा
		4. श्री कमलेश सेनी पुत्र श्री छोटीलाल सेनी

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/16/ 1005-1119

दिनांक: 30/8/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर दौसा।
06. संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में नियमानुसार शपथ दिलवाने की कार्यवाही करे।
07. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति मिजवाने का श्रम करे।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अवेक्षण विभाग राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
10. सम्बन्धित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका..... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलवाने की कार्यवाही करे।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी